HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3108/2026

Arsad S/o Rujdare, Aged About 32 Years, R/o Munsa Ka Bas, Raghunathgarh, P.s. Naugawa, District Alwar (Raj.) (At Present Confined In Central Jail Alwar).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Anil Kumar Yadav with Mr. Ramniwas Dhayal Mr. Abhinav Dhabai
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Saini, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

24/02/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना लक्षमणगढ़, जिला अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 467/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 5, 6, 8, 9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रकरण में जिस वक्त गौवंश को बरामद करना बताया गया है, उस समय प्रार्थी–अभियुक्त मौके पर ही उपस्थित नहीं था। उनका तर्क है कि किसी भी व्यक्ति ने प्रार्थी–अभियुक्त को प्रकरण में प्रयुक्त वाहन को चलाते हुए नहीं देखा है। उनका तर्क है कि प्रार्थी को उसके पक्ष में उक्त वाहन का विक्रय–पत्र व मुख्तयारनामा होने के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व के दो आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं, जो दुर्घटना व धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता से संबंधित हैं। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में अभी आरोपपत्र प्रस्तुत नहीं हुआ

है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 03.02.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के अन्वेषण व अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3, 5, 6, 8, 9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 के अपराधों का अभियोग है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त 21 गौवंश को आईसर केन्ट्रा वाहन में भरकर ले जा रहा था और बाद में उक्त वाहन को छोड़कर भाग गया, जिसमें 5 गौवंश मृत अवस्था में थे। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व के दो आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं, जिनमें जांच जारी है। उनका तर्क है कि वास्तविकता में जिस वाहन से गौवंश बरामद किए गए हैं, उक्त वाहन की पॉवर ऑफ ऑर्टोनी प्रार्थी–अभियुक्त के नाम थी। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3, 5, 6, 8, 9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 के गम्भीर अपराधों का अभियोग है। प्रकरण में प्रार्थी–अभियुक्त पर आक्षेप है कि प्रार्थी 21 गौवंशों को आईसर केन्ट्रा में में भरकर ले जा रहा था। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन आईसर केन्ट्रा, जिसमें उक्त गौवंश मिले हैं, उसकी पॉवर ऑफ अर्टोनी प्रार्थी–अभियुक्त के नाम पर होना अनुसंधान प्रत्रावली से प्रकट होता है। अभी प्रकरण में अन्वेषण पूर्ण नहीं हुआ है। अनुसंधान जारी है। प्रकरण में संलिप्त अन्य सहअभियुक्त अभी फरार चल रहा है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व के दो आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं। अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

NIMIT GOYAL /86